अध्याय – 1

सामान्य

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में, हमने राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं, लेखापरीक्षा के प्रति शासन का प्रत्युत्तर, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु शासन/विभागों द्वारा किये गये अनुपालन की स्थिति, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित कंडिकाओं की स्थिति तथा वर्ष 2012–13 के दौरान निष्पादित लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया है ।
राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	मध्य प्रदेश शासन की राजस्व प्राप्तियों में राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित है । वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व ₹ 37,581.92 करोड़ था जो कुल प्राप्तियों का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत ₹ 32,845.36 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का अनुपालन न किया जाना	दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 3,695 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 14,752 कंडिकायें, जिनमें ₹ 6,783.96 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, अनुपालन के अभाव में जून 2013 के अंत तक लम्बित रहीं । निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर दिसम्बर 2012 तक जारी 327 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए थे (30 जून 2013)। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य को इंगित करते हैं कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभाग प्रमुखों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की

	गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की ।
लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध न कराना	वर्ष 2012–13 के दौरान, पांच विभागों (वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्व, खान एवं भौमिकी तथा राज्य उत्पाद शुल्क) के 124 कार्यालयों ने 2,331 कर निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये ।
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	हमने देखा कि वर्ष 2012–13 के दौरान, केवल वाणिज्यिक कर विभाग ने दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें संयोजित की थीं जिनमें ₹ 11.82 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 224 कंडिकाएं निराकृत की गई थीं जबकि अन्य विभागों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की । यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण हेतु सभी विभागों द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकें संयोजित की जाएं ।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12 तक)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, शासन/विभागों ने ₹ 1,146.13 करोड़ मौद्रिक मूल्य के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 253.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी ।
हमारा निष्कर्ष	अवधि 2012–13 के दौरान ₹ 764.89 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित लेखापरीक्षा प्रेक्षण जारी किये गये । विभागों/शासन ने ₹ 372.31 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया । विभाग द्वारा 2012–13 के दौरान 293 प्रकरणों में ₹ 3.18 करोड़ वसूल किया गया । यह अनुशंसा की जाती है कि स्वीकार किये गये प्रकरणों में अंतर्निहित राशियों को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये । पाँच वर्षों से अधिक समय से राजस्व के बकाया के रूप में लंबित राशि कुल बकाया राशि का 13.90 प्रतिशत थी । बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये ।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति त्वरित एवं उपयुक्त प्रत्युत्तर तथा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में अधिकारियों की विफलता के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई न करने के लिए भी एक प्रभावी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिये।

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012–13 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े तालिका क्र. 1.1 में दर्शाये गये हैं :

तालिका क्र. 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,613.50	17,272.77	21,419.33	26,973.44	30,581.70
	• कर–भिन्न राजस्व	3,342.86	6,382.04	5,719.77	7,482.73	7,000.22
	योग	**16,956.36**	**23,654.81**	**27,139.10**	**34,456.17**	**37,581.92**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	10,767.14	11,076.99	15,638.52	18,219.14	20,805.16[1]
	• सहायक अनुदान	5,853.71	6,662.87	9,076.56	9,928.77	12,040. 20
	योग	**16,620.85**	**17,739.86**	**24,715.08**	**28,147.91**	**32,845.36**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**33,577.21**	**41,394.67**	**51,854.18**	**62,604.08**	**70,427.28**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**50**	**57**	**52**	**55**	**53**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

---

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें । शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

राज्य शासन का राजस्व विगत पांच वर्षों में 16.90 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 55 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 70,427.28 करोड़) का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 तालिका क्र. 1.2 वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका क्र. 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की तुलना में 2012–13 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,842. 99	7,723.82	10,256.76	12,516.73	14,856.30	(+) 18.69
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,301. 95	2,951.94	3,603.42	4,316.49	5,078.06	(+) 17.64
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1,479.29	1,783.15	2,514.27	3,284.41	3,944.24	(+) 20.09
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,332. 57	1,332.88	1,746.20	2,047.46	2,395.03	(+) 16.98
5.	वाहनों पर कर	772. 56	919.01	1,198.38	1,357.12	1,531.25	(+) 12.83
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	343. 06	2,146.49	1,476.32	1,773.32	1,477.71	(-) 16.67
7.	भू–राजस्व	338. 84	180.03	360.81	279.06	443.59	(+) 58.96
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	172. 29	203.92	217.89	248.90	254.52	(+) 2.26
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	20. 28	19.21	29.42	52.29	188.10	(+) 259.72
10.	होटल प्राप्तियां	9. 67	12.20	15.85	18.33	-	-
11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	-	0.12	0.01	1,079.33	412.90	(-) 61.74
योग		**13,613. 50**	**17,272.77**	**21,419.33**	**26,973.44**	**30,581.70**	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

विक्रय, व्यापार आदि पर कर – कर के बेहतर अनुपालन के कारण 18.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

राज्य उत्पाद शुल्क – मदिरा दुकानों की नीलामी से प्राप्त निष्पादन राशि में वृद्धि के कारण 17.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – अधिक दस्तावेजों के पंजीयन होने एवं अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण 20.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वाहनों पर कर – प्रभावी कम्प्यूटरीकरण के कारण 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क – 2011–12 में विगत वर्षों से सम्बन्धित विद्युत शुल्क एवं ब्याज के बकाया की प्राप्ति के कारण 16.67 प्रतिशत की कमी हुई ।

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2014) ।

1.1.3 तालिका क्र.1.3 वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका क्र.1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2011–12 की तुलना में 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,361.08	1,590.47	2,121.49	2,038.31	2,443.39	(+) 19.87
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	685.60	802.00	836.61	878.81	910.38	(+) 3.59
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	380.17	399.12	143.00	145.44	30.40	(-) 79.10
4.	ब्याज प्राप्तियां	163. 29	1,284.03	298.56	1,571.41	301.47	(-) 80.82
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	55.58	80.94	85.14	106.05	239.15	(+) 125.51
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	37.08	56.75	194.89	263.15	137.74	(-) 47.66
7.	पुलिस	23.63	41.98	62.55	63.19	83.59	(+) 32.28
8.	लोक निर्माण	21.74	27.37	36.77	47.92	33.22	(-) 30.68
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.88	21.84	22.77	30.16	44.83	(+) 48.64
10.	सहकारिता	13.25	9.08	17.05	11.65	13.02	(+) 11.76
11.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	580.56	2,068.46	1,900.94	2,326.64	2,763.03	(+) 18.76
योग		**3,342.86**	**6,382.04**	**5,719.77**	**7,482.73**	**7,000.22**	

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बंधित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग – वित्तीय वर्ष 2011–12 में कोयले के राज्यांश में वृद्धि तथा बड़ी कम्पनियों पर बकाया राशि की वसूली के कारण 19.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वानिकी एवं वन्य जीवन – विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण 3.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

सहकारिता – ऋण पर ब्याज की वसूली में वृद्धि के कारण 11.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013), अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2014) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल (मैन्युअल) की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों की बकाया देय राशि तथा वर्ष के दौरान उनकी वसूली की प्रायिकता सहित वास्तविक माँग भी सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/शासन से वांछित जानकारी /आँकड़े प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अनुमान तैयार किया जाना अपेक्षित है।

कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं तालिका क्र. 1.4 में दर्शायी गयी हैं :

तालिका क्र.1.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (–)	प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	14,500.00	14,856.30	(+) 356.30	(+) 2.46
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	5,000.00	5,078.06	(+) 78.06	(+) 1.56
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	3,450.00	3,944.24	(+) 494.24	(+) 14.33
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,370.00	1,477.71	(+) 107.71	(+) 7.86
5.	वाहनों पर कर	1,500.00	1,531.25	(+) 31.25	(+) 2.08
6.	भू–राजस्व	550.00	443.59	(–)106.41	(–) 19.35
7.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,400.00	2,395.03	(–) 4.97	(–) 0.21
कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,350.00	2,443.39	(+) 93.39	(+) 3.97
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	201.78	301.47	(+) 99.69	(+) 49.41
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	960.32	910.38	(–) 49.94	(–) 5.20

केवल मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा भिन्नता के कारण सूचित किये गये :

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – 14.33 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः अधिक दस्तावेजों का पंजीयन होने तथा अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 913.47 करोड़ थी जिसमें से ₹ 126.95 करोड़ की राशि तालिका क्र.1.5 में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका क्र.1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	न्यायालय में लंबित राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	557.75	––	56.93
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	71.08	63.40	5.25
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	85.32	34.25	32.67
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	14.19	14.19	––
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	185.13	15.11	39.72
योग		**913.47**	**126.95**	**134.57**

अनुरोध के बावजूद (जुलाई 2013) अन्य विभागों के सम्बंध में वर्ष 2012–13 के अंत में राजस्व के बकाया की स्थिति शासन/विभाग से प्राप्त नहीं हुई ।

1.4 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर/वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण तालिका क्र.1.6 में वर्णित है :

तालिका क्र.1.6

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2.	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2010-11	2,44,922[2]	2,53,990	4,98,912	3,74,824	1,24,088	75.13
	2011-12	1,24,088	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
	2012-13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
वृत्ति कर	2010-11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
	2012-13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19

[2] संख्या का विगत वर्ष के अंतिम शेष से मिलान नहीं हो रहा था जिसमें इसे 2,47,922 दर्शाया गया था। अब विभाग ने संख्याओं का मिलान कर लिया है तथा प्रारम्भिक शेष की संख्या 2,44,922 प्रतिवेदित की है।

1	2.	3	4	5	6	7	8
प्रवेश कर	2010-11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
	2012-13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
विलासिता कर	2010-11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
	2012-13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
निर्माण संविदाओं पर कर	2010-11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53
	2012-13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11

इस प्रकार, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान विक्रय कर/वैट, प्रवेश कर तथा विलासिता कर से सम्बंधित निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में कमी हुई है ।

1.5 कर अपवंचन

विभागों द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचन के विवरण का उल्लेख तालिका क्र. 1.7 में किया गया है :

तालिका क्र. 1.7

स.क्र.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2012 को लंबित प्रकरण	2012–13 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2013 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	253	239	492	220	122.81	267[3]
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	29	निरंक	29	निरंक	निरंक	29
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	13,685	10,734	24,419	8,025	32.20	16,394

इस प्रकार, विक्रय, व्यापार आदि पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बन्धित लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

1.6 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2012–13 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2012–13 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख तालिका क्र. 1.8 में किया गया है :

[3] विभाग ने प्रारम्भिक तथा अंत शेष में अंतर के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताया।

तालिका क्र. 1.8

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	548	8.74	129	2.58	1,676	2.97	22	0.28
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,462	438.07	111	3.25	845	4.13	18	0.73
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	5,350	352.12	39	2.58	779	2.61	26	0.91
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	660	94.69	200	2.81[4]	1,742	4.49	14	0.11

इस प्रकार, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को छोड़कर वर्ष के अन्त में सभी विभागों के वापसी प्रकरणों की संख्या तथा राशि में वृद्धि देखी गई ।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

अग्रलिखित कंडिकाएं 1.7.1 से 1.7.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/अनुशंसाओं के प्रति विभागों/शासन के प्रत्युत्तर की विवेचना करती हैं ।

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

हमने दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 3,695 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 14,752 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 6,783.96 करोड़

[4] विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत स. क्र.–1 तथा 4 के बीच अन्तर विभाग द्वारा प्रतिवेदित मिलान (अगस्त 2013) के कारण है।

अन्तर्निहित थी, जून 2013 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित तालिका क्र. 1.9 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.9

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,690	3,465	3,695
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	13,285	13,506	14,752
अन्तर्निहित (करोड़ ₹ में)	9,355.55	6,834.02	6,783.96

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण तालिका क्र. 1.10 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.10

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	वाणिज्यिक कर	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	1038	5172	1012.21
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	48	161	309.95
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर	200	392	19.41
		राज्य उत्पाद शुल्क	224	850	675.91
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1070	3374	2534.35
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	425	2264	361.18
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	471	1422	211.08
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	219	1117	1659.87
योग			**3695**	**14752**	**6783.96**

जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं का वर्षवार एवं अवधिवार विवरण तालिका क्र. 1.11 में दिया गया है:

तालिका क्र. 1.11

निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (अवधिवार)
1.	2.	3.	4.
2005–06 तक	1219	3656	7 वर्ष
2006–07	289	920	6 वर्ष
2007–08	352	1047	5 वर्ष
2008–09	387	1599	4 वर्ष
2009–10	403	1968	3 वर्ष
2010–11	397	1988	2 वर्ष
2011–12	339	1782	1 वर्ष
2012–13	309	1792	.

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2012 तक जारी 327 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे । यद्यपि इसे 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं समुचित प्रत्युत्तर हेतु एवं साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों, जो निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं और समयबद्ध ढंग से हानि/लम्बित माँग की वसूली के लिए कार्रवाई करने में भी असफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायें ।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्ध में आहूत लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों का विवरण तालिका क्र. 1.12 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 1.12

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि	निराकृत निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**
2005-06 तक	8	18	0.69
2006-07	1	7	0.15
2007-08	1	35	0.33
2008-09	-	64	5.80
2009-10	-	70	3.93
2010-11	-	21	0.73
2011-12	-	9	0.19
योग	**10**	**224**	**11.82**

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

1.7.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर/कर –भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें ।

वर्ष 2012–13 के दौरान, 124 कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 2331 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण तालिका क्र. 1.13 दिया गया है:

तालिका क्र. 1.13

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम कार्यालयों की संख्या	प्राप्तियों की प्रकृति	लेखापरीक्षित नहीं हुए कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतर्निहित राजस्व निर्धारित हो सका	अन्तर्निहित राजस्व
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
वाणिज्यिक कर 64	बिक्री कर/वैट	1951	-	-
मुद्रांक एवं पंजीयन 10	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	22	-	-
भू–राजस्व 32	भू–राजस्व	315	-	-
खनन एवं भौमिकी 15	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	37	-	-
राज्य उत्पाद शुल्क 13	राज्य उत्पाद शुल्क	6	-	-
योग		**2331**	**-**	**-**

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 50 कंडिकाऐं (35 कंडिकाओं में संयोजित) सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2013 के मध्य प्रेषित की गयी थीं । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2014) ।

इन विभागों से सम्बन्धित कण्डिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है ।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

राज्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसाओं के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित कंडिकाओं पर चर्चा की जा चुकी है तथा पी.ए.सी. के स्तर पर 46 कंडिकाएं चर्चा हेतु अभी भी लम्बित हैं, 76 कंडिकाओं से सम्बन्धित विभागीय उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं। विवरण तालिका क्र. 1.14 में दिया गया है ।

तालिका क्र. 1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या जिनका उत्तर प्रतीक्षित है।	चर्चा हेतु लंबित प्रकरणो की संख्या
1.	2.	3.
2006–07	–	1
2007–08	2	–
2008–09	10	20
2009–10	12	18
2010–11	52	7
योग	**76**	**46**

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के ए.टी.आर. प्राप्त हो चुके हैं । 1993–94 से 2007–08 तक के ए.टी.आर. आंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं तथा इसके पश्चात सम्बंधित विभागों से ए.टी.आर. प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रस्तुत किये गये तथा प्रस्तुत न किये गये ए.टी.आर. की स्थिति का विवरण तालिका क्र. 1.15 में दिया गया है:

तालिका क्र. 1.15

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाएं	कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसाएं की गयी	कंडिकाओं की संख्या जिनके ए.टी.आर. प्रस्तुत किये गये	कंडिकाओं की संख्या जिनके ए.टी.आर. प्रस्तुत नहीं किये गये
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1993-94	54	39	24	15
1994-95	70	70	37	33
1995-96	83	83	52	31
1996-97	93	93	53	40
1997-98	77	77	21	56
1998-99	69	67	29	38
1999-00	65	65	23	42
2000-01	64	55	13	42
2001-02	49	49	13	36
2002-03	58	58	21	37
2003-04	42	42	23	19
2004-05	38	13	7	6
2005-06	47	8	0	8
2006-07	41	3	1	2
2007-08	55	1	1	0
योग	**905**	**723**	**318**	**405**

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के संबंध में उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किसी एक विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है ।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.8.1 से 1.8.2.2 पिछले छः वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2002–03 से 2011–12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन** विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है ।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2013 को इनकी अवस्था की संक्षिप्त स्थिति तालिका क्र. 1.16 में दर्शाई गई है :

तालिका क्र.1.16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष			लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (अवधिवार)
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2008-09 तक	769	1864	85.63	80	315	26.03	133	397	15.95	716	1782	95.72	4 वर्ष से अधिक
2009-10	716	1782	95.72	88	290	33.76	223	643	27.83	581	1429	101.65	3 वर्ष
2010-11	581	1429	101.65	65	264	62.16	237	477	20.41	409	1216	143.39	2 वर्ष
2011-12	409	1216	143.39	53	203	60.13	53	232	28.78	409	1187	174.73	1 वर्ष
2012-13	409	1187	174.73	98	344	49.01	69	169	10.88	438	1362	212.86	

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों पर विभागों/शासन द्वारा दिय गये आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति तालिका क्र. 1.17 में दर्शाई गई है :

तालिका क्र. 1.17

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.13 तक वसूल की गई राशि	स्वीकृत राशि में से वसूली का प्रतिशत 5 से 7 का
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2002-03	06	17.17	05	2.79	05	2.79	100.00
2003-04	04	1.86	02	1.36	02	1.36	100.00
2004-05	05	8.65	02	2.87	02	2.87	100.00
2005-06	03	1.32	03	0.53	03	0.53	100.00
2006-07	06	2.45	04	0.55	04	0.51	92.73
2007-08	01	91.57	01	45.76	01	8.58	18.75
2008-09	11	16.81	08	16.35	08	2.15	13.15
2009-10	09	14.72	07	14.11	07	2.06	14.60
2010-11	13	34.22	07	11.21	04	0.14	1.25
2011-12	10	32.71	10	28.11	01	0.08	0.28

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकार किए गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है ।

1.8.2.2 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं । इन निष्पादन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है ।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं आरोपण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनमें पांच अनुशंसायें थीं, सम्मिलित थी । विभाग ने इनमे से किसी भी अनुशंसाओं पर अपनी विशिष्ट टिप्पणियां नहीं दी ।

1.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007–08 से 2011–12 के अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, विभागों/शासन ने ₹ 1,146.13 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2013 तक केवल ₹ 253.57 करोड़ की वसूली की गई थी जैसा कि तालिका क्र. 1.18 में उल्लेख किया गया है:

तालिका क्र. 1.18

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किया गया मौद्रिक मूल्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार वसूली	संचयी वसूली	स्वीकार की गई राशि मे से वसूली का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2007-08	623.43	367.16	4.89	82.32	22.42
2008-09	1,339.50	134.32	2.88	12.80	9.53
2009-10	1,469.91	418.83	2.67	156.13	37.28
2010-11	291.79	110.29	1.99	1.99	1.80
2011-12	247.82	115.53	0.33	0.33	0.29
योग	**3,972.45**	**1,146.13**	**12.76**	**253.57**	

विगत पाँच वर्षों में स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए ।

1.9.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने वाणिज्यिक कर, पंजीयन, भू–राजस्व, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क, खनिज संसाधन, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वन विभाग की 2,053 इकाईयों की लेखापरीक्षा की थी । हमने, अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 9,540.65 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित 18,65,709 प्रकरणों को इंगित किया था । विभाग/शासन ने ₹ 4,146.97 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से 36,548 प्रकरणों में ₹ 234.28 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 1.19 में दर्शाया गया है:

तालिका क्र. 1.19

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
2007-08	508	4,48,574	1,069.85	3,16,179	327.83	456	135.61
2008-09	377	2,96,745	2,342.15	77,791	804.20	1,426	18.95
2009-10	449	28,674	3,366.12	18,071	1,738.52	1,940	4.64
2010-11	398	4,36,829	1,955.06	1,75,021	737.07	31,204	70.50
2011-12	321	6,54,887	807.47	24,385	539.35	1,522	4.58
योग	**2,053**	**18,65,709**	**9,540.65**	**6,11,447**	**4,146.97**	**36,548**	**234.28**

1.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन प्राप्तियों की 378 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 8,98,782 प्रकरणों में ₹ 764.89 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला । वर्ष के दौरान, विभागों ने वर्ष 2012–13 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 36,183 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 372.31 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2012–13 के दौरान विभागों ने 293 प्रकरणों में ₹ 3.18 करोड़ संग्रहीत किये ।

1.9.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज तथा शास्ति आदि के कम आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित ₹ 343.19 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित मध्य प्रदेश में "खनन प्राप्तियाँ" पर एक समीक्षा सहित 35 कंडिकाएं (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 181.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.62 करोड़ की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VII में की गई है ।